न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/42/2013	2013/00030	16.12.2013	30.10.2024

1. नारायण पुत्र हीरा जाति माली निवासी सौंखर तहसील कठूमर जिला अलवर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. पूरणमल पुत्र हरसुखा जाति माली निवासी सौंखर तहसील कठूमर जिला अलवर।
2. गोकल पुत्र हीरा जाति माली।
3. गोपाल पुत्र हीरा जाति माली।
4. ओमप्रकाश पुत्र हीरा जाति माली निवासी सौंखर तहसील कठूमर जिला अलवर।
5. रामवती पुत्री हरसुखा माली पत्नी रामचरण जाति माली निवासी समूची तहसील कठूमर जिला अलवर।
6. फूलवती पुत्री हरसुखा माली पत्नी रामचरण जाति माली निवासी समूची तहसील कठूमर जिला अलवर।

— रेस्पाडेन्ट्स

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर (राज0) (प्रथम)

अपील विरुद्ध इन्तकाल संख्या 3609 ग्राम सौंखर तहसील कठूमर जिला अलवर।

उपस्थितः—
01—श्री उमाशंकर खण्डेलवाल —वकील अपीलाण्ट
02—श्री श्योराम सिंह नरूका —वकील रेस्पो0

—:निर्णयः—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 3609 निर्णय दि0 12.09.2022 ग्राम सौंखर तह0 कठूमर जिला अलवर के द्वारा गलत तरीके पर रेस्पो0 से0 01 के पक्ष में इन्तकाल दर्ज किया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट्स ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अपीलांट के बाबा हरसुखा के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 1076, 239, 255, 264, 599, कुल किता 5 रकबा 1.5800 है. वाके ग्राम सौंखर में स्थित है हरसुखाके फौत होने पर उसका विरासत इंतकाल रेस्पो० नं० 1 ने बिना अपीलांट व तरतीवी रेस्पो० को सूचित किये बाला बाला तरीके से राजस्व कर्मचारियों से मिलकर इंतकाल संख्या 3609 दर्ज करा लिया और तहसीलदार (भू०अ०) कठूमर ने बिना जांच किये बिना नोटिस जारी किये दिनांक 12—9—22 को तस्दीक कर दिया जबकि इसी आराजी की बाबत पूर्व में अदालत उपखण्ड अधिकारी कठूमर के यहां रेस्पो0न01 ने एक वाद अपीलांट एवं तरतीवी रेस्पो. के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिस वाद का निर्णय दिनांक 09—09—2016 को उक्त अदालत ने पारित कर रेस्पो० नं० 1 का दावा खारिज कर अपीलांट एवं तरतीवी रेस्पो० 2, 3, 4, के हक में डिकी पारित कर दी जिस निर्णय डिकी के विरूद्ध रेस्पो० नं० 1 ने अपील राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के यहां कर रखी है जो अभी पैन्डिंग है, जिसमें मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन जारी किया हुआ है। तहसीलदार भू०अ० कठूमर द्वारा इंतकाल तस्दीक किया है अतः यह अपील श्रीमान के श्रवण योग्य है। विवादित इंतकाल तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट या तर०रेस्पो० को कोई नोटिस या सूचना किसी प्रकार से नही दी। हरसुखा काफी साल पूर्व फौत हो गया, जिसका विरासत का इंतकाल बाला बाला गुप चुप तरीके से रेस्पो० नं0 1 ने राजस्व कर्मचारियो से मिली भगत कर तस्दीक करवा लिया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

इंतकाल की जानकारी अपीलांट को तब हुई जब अपीलांट ने उक्त आराजी की जमाबंदी की नकल ई मित्र द्वारा निकलवाई क्योंकि राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी में वकील साहब ने जमाबंदी की नकल की मांग की थी इंतकाल बाबत दिनांक 20–11–22 को जानकारी होने पर दिनांक 21–11–22 नकल इंतकाल के लिए आवेदन करने पर उसी दिन नकल प्राप्त की जिस जानकारी से अपील अंदर अवधी पेश है। इससे पूर्व इंतकाल की कोई जानकारी नहीं हुई देरी को कन्डोन करने का प्रार्थना पत्र दफा 05 लिमिटेशन एक्ट का अलग से पेश किया जा रहा है। रेस्पो. नं. 1 ने राजस्व कर्मचारियो से मिल कर विवादित इंतकाल तस्दीक कराया है, जबकि इसी आराजी की बाबत पूर्व में अदालत उपखण्ड अधिकारी कठूमर से रेस्पो.न.1 द्वारा किया गया दावा दिनांक 9–9–16 को खारिज हो गया औरा रेस्पो० नं01 का कोई हक या अधिकार मृतक हरसुखा की आराजी में नहीं माना है। उक्त निर्णय दिनांक 9–9–16 के विरूद्व रेस्पो.नं.1 ने अपील अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के यहां कर रखी है जिसमें आगामी पेशी 13–12–22 नियत है उक्त अपील में रेस्पो० नं01 ने मौके व रिकार्डकी यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन ले रखा हे जिस बाबत राजस्व अधिकारियो को पूर्णतया जानकारी है। दावा अपील के दौरान व स्थगन आदेश के बावजूद इंतकाल तस्दीक किया गया है जो गलत है। रेस्पो०न. 1 इस विवादित इंतकाल के जरिये नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं जब तक अदालत उपखण्ड अधिकारी कठूमर की डिकी 09–09–16 निरस्त नही हो जाती और रेस्पो०नं. 1 का अधिकार तय नही हो जाता तब तक मृतक हरसुखा का विरासत इंतकाल रेस्पो0नं01 के हक में तस्दीक नही हो सकता है। पूरण रेस्पो० मृतक गंगाविशन व मु. अन्छी के यहां यहां गोद चला गया है तथा मृतक गुंगाविशन व अन्छी की जायदाद पर रेस्पो०न. 1 काबिज है। मृतक हरसुखा का विरासत इंतकाल मृतक हीरा के नाम तस्दीक कर दिया जबकि हीरा को फौत हुये करीब 22–23 साल हो गये है मृतक के नाम इंतकाल कानूनन दर्ज व तस्दीक नही हो सकता है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि इंतकाल संख्या 3609 वाके ग्राम सौंखर तहसील कठूमर निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें। विद्वान वकील अपीलाण्ट द्वारा अपील के समर्थन में 2009(2) RRT 1225, 2009 (2) RRT 1227 नजीरें पेश की हैं।

विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अपील में यह तथ्य दर्ज किये हैं कि रेस्पो0 पूरन मृतक गंगाविशन व मु. अन्छी के यहां गोद चला गया है तथा मृतक गंगाविशन व अन्छी की जायदाद पर काबिज है। यह गलत दर्ज किया गया है, जबकि पूरन द्वारा अन्छी की कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 27.09.1989 को खरीद किया गया है और वक्त खरीद से कब्जा व काश्त चल रही है। रेस्पो0 पूरन हरसूखा का पुत्र है और अपीलाण्ट व रेस्पो0 के हक में नामांकन संख्या 3609 तहसीलदार द्वारा सही स्वीकार किया गया है। वकील रेस्पो0 द्वारा अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा अपने समर्थन में RRT 2012 Page 374, RRD 2013 Page 32 नजीरें पेश की हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.09.2022 के विरूद्व दिनांक 16.12.2022 को पेश की गयी है जो करीब 03 माह 04 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया व वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 पूरन के पिता हरसुखा द्वारा अन्छी की कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 27.09.1989 को विधिवत रूप से खरीद की गई है और वक्त खरीद से रेस्पो0 का कब्जा व काश्त करता चला आ रहा है। प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी हरसुखा पुत्र ग्यारसा की खातेदारी में दर्ज है। तहसीलदार कठूमर द्वारा बयनामा दिनांक 27.09.1989 के आधार पर विधिवत रूप से नियमानुसार इंतकाल दर्ज व तस्दीक किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा अपील कथन किया गया कि रेस्पो0 पूरन मृतक गंगाविशन व मु. अन्छी के यहां गोद चला गया, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा गोदनामे के संबंध में कोई दस्तावेज न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किया है। पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजात एवं तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश उचित है। अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तकरण आदेश

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)
30.10.24

दिनांक 12.09.2022 में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.09.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)